राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांकःप09(11)चिस्वा/2/05

कार्यालय औषधि नियंत्रक (राज.) जयपुर
05 MAR 2012
क्रमांक 112

जयपुर, दिनांक 2-3-12

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।

विषय :- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों की सफलता हेतु नियमित निगरानी रखनें बाबत ।
सन्दर्भ :- पूर्व परिपत्र क्रमांक प.9(11)चिस्वा/2/05 दिनांक 04-06-2007

LA

उपरोक्त विषय में संदर्भित परिपत्र का अवलोकन करें। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों की सफलता हेतु औषधि नियंत्रण अधिकारियों को समय समय पर विभाग व औषधि नियंत्रक द्वारा निर्देशित किया गया है कि न्यायालयों में नियमितरूप से उपस्थित रहकर कोर्ट केसेज की निगरानी करेगें एवं राज्यहित में तकनीकी विषयों पर माननीय न्यायालय एवं सहायक लोक अभियोजक/लोक अभियोजक को केसेज की सफलता हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान करेगें परन्तु जानकारी मे लाया गया है कि कुछ औषधि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा कोर्ट केसेज के प्रति उदासीनता/लापरवाही पूर्ण रवैया बरता जा रहा है। इस सम्बन्ध में समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारीयों एवं सहायक औषधि नियंत्रकों का ध्यान राज्य सरकार के सन्दर्भित परिपत्र की ओर पुनः आकर्षित करते हुये लेख है कि न्यायिक प्रकरणो के सम्बन्ध में परिपत्र में प्रदत्त दिशानिर्देशों यथा सहायक औषधि नियंत्रकों द्वारा चार्ज पूर्व बहस तथा निर्णय पूर्व बहस के समय न्यायालय में उपस्थित रहना, प्रकरणों पर नियमित निगरानी करना एवं औषधि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा मुलजिमान को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करवाना, गवाहों की साक्ष्य करवाना, विपरीत निर्णय होने पर शीघ्रातिशीघ्र आगे अपील/रिविजन करने हेतु नियमों सहित विस्तृत टिप्पणी/प्रस्ताव बनाकर सहायक औषधि नियंत्रक के माध्यम से सहायक लोक अभियोजक/लोक अभियोजक/सहायक निदेशक अभियोजन तथा औषधि नियंत्रक व जिला कलेक्टर को प्रेषित करना आदि की कठोरतापूर्वक अनुपालना सुनिश्चित करें ।

न्यायिक प्रकरणों में किसी प्रकार की लापरवाही बरतनें पर संम्बन्धित अधिकारी अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगें।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि :-
1- औषधि नियंत्रक, औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग, जयपुर।
2- निदेशक, अभियोजन विभाग, सचिवालय जयपुर।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर, राजस्थान

क्रमांकः-डीसी/विधि/2012/53

दिनांक 16-3-12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
1- समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
2- समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।
3- प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अप-लोड करने का श्रम करें।

औषधि नियंत्रक
राजस्थान जयपुर

(1)

67(i)

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांकःपं09(11)चिस्वा/2/05 जयपुर,दिनांकः 4/6/07

परिपत्र

04 JUN 2007
Circular
Court Cases
4/6/07

विषयः-औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत न्यायालयों में विचाराधीन केसेज की सफलता हेतु नियमित निगरानी रखने बाबत।

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम,1940 व औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों की सफलता हेतु औषधि नियंत्रण अधिकारियों को यद्यपि समय-समय पर निर्देशित किया जाता रहा है कि वे नियमित रूप से न्यायालयों में उपस्थित रहकर कोर्ट केसेज की निगरानी करेगें एवं राज्यहित में तकनीकी विषयों पर अभियोजन पक्ष की ओर से माननीय न्यायालय एवं सहायक लोक अभियोजक/लोक अभियोजन को केसेज की सफलता हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान करेगें परन्तु स्पष्ट निर्देश के बावजूद यह जानकारी में आया है कि कुछ औषधि नियंत्रण अधिकारी कोर्ट केसेज के प्रति लापरवाही पूर्ण रवैया अख्तियार करते है। वे या तो कोर्ट जाते ही नहीं या फिर सिर्फ तारीख पेशी नोट करने के लिये नाममात्र को न्यायालय जाते है एवं कोर्ट केसेज के प्रति पूर्ण से उदासीनता बरतते है जिसके परिणाम स्वरूप साक्ष्य के अभाव में/चार्ज नहीं लगने के कारण तथा बहस के समय अभियोजन का पक्ष प्रभावी रूप से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने के कारण कोर्ट केसेज डिस्चार्ज अथवा खारिज हो रहे है जिनमें केस की असफलता के लिये विभागीय अधिकारियों के विरूद्व विपरीत टिप्पणियां भी की गई है जिनके विरूद्व विभाग द्वारा कार्यवाहियां की जा रही है।

कोर्ट केसेज के मामलों में राज्य के सहायक औषधि नियंत्रकों को सीधे तौर पर अभी तक दायित्व सौंपा हुआ नहीं है जबकि अनुभवी एवं वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते इन अधिकारियों के अपने अपने क्षैत्र में विचाराधीन कोर्ट केसेज में उपस्थित होने से तथा नियमित निगरानी रखने से सफलता की सम्भावनायें बढेगी, इसलिये इन अधिकारियों को भी कोर्ट केसेज की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया गया है। अब से समस्त सहायक औषधि नियंत्रक भी अपने अपने अधिकार क्षैत्र में विचाराधीन कोर्ट केसेज में अभियोजन पक्ष की ओर से चार्ज बहस एवं निर्णय से पूर्व बहस के समय आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगें एवं पूरे समय केस पर नियमित निगरानी रखेगें तथा माननीय न्यायालय, लोक अभियोजक/सहायक लोक अभियोजन को केस की सफलता के लिये आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करेगें।

औषधि नियंत्रण अधिकारी जिलों में अपने अपने अधिकार क्षेत्र में समस्त विवाराधीन कोर्ट केसेज के बारे में पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगें तथा अभियोजन पक्ष की ओर से मुल्जिमान को न्यायालय में उपस्थित करवाने से लेकर गवाहों की साक्ष्य करवाने, चार्ज लगवाने, बहस व निर्णय इत्यादि के समय आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगें तथा केस की सफलता हेतु सभी सम्भव प्रयास करेगें। विपरीत निर्णय होने की स्थिति में संबंधित औषधि नियंत्रण अधिकारी सात दिन में निर्णय की प्रति प्राप्त कर रिविजन/अपील दायर करने हेतु नियमों का उल्लेख करते हुये अधिकतम पन्द्रह दिवस में न्यायसंगत प्रस्ताव बनाकर क्षैत्रीय सहायक औषधि नियंत्रक के मार्फत रिवीजन/अपील दायर करने के लिये विस्तृत विवरण सहित सहायक लोक अभियोजक/लोक अभियोजक/सहायक निदेशक(अभियोजन) तथा औषधि नियंत्रक को प्रेषित करेगें। जिला कलेक्टर को भी दोनों अधिकारी इस बारे में अवगत करायेगें जिससे समय रहते अपील/रिविजन करने का निर्णय लिया जा सके। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्व राज्य सरकार द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि म्नि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1—निजी सचिव,मा0 चिकित्सा मंत्री महोदय।
2—निजी सचिव,मा0 चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
3—निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4—निदेशक(जन स्वा)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज0जयपुर।
5—औषधि नियंत्रक,प्रथम व द्वितीय,औषधि नियंत्रण संगठन,स्वास्थ्य भवन,तिलक मार्ग,जयपुर।
6—निदेशक,अभियोजन विभाग,राज0जयपुर को भेजकर लेख है कि औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारियों द्वारा यदि कोर्ट केसेज के प्रति लापरवाही बरतना पाया जावे उसकी सूचना विवरण सहित औषधि नियंत्रक,स्वास्थ्य भवन,तिलक मार्ग, जयपुर को कार्यवाही हेतु प्रेषित करावें।
7—उप विधि परामर्शी,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज0जयपुर।
8—समस्त सहायक औषधि नियंत्रक को पालनार्थ
9—समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी को पालनार्थ
10—रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव